

2014-6-18



पक्षकारान उप./अनु./वकील प्रार्थी/अप्रार्थी उप./अनु./ पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई। पक्षकारान को समझाईश की गई, परन्तु राजीनामा नहीं हुआ। अतः पत्रावली संबंधित न्यायालय में वापस लौटाई जाकर दिनांक 20-8-18 को पेश हो।

deu

उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

20-8-18

वकील डिबीरार उपस्थित। माननीय वापस मंडल अजमेर के प्रशासित के कार्यालय से ले मिसल दि. 29-10-18 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर

29-10-18

वकुला.ए. फरीदपुर/पी.ओ.सा.दीनार प्रशा. कार्यो व्यस्त/..... पधारे हैं। मिसल वास्ते निम्न कार्यवाही हेतु पी.ओ.सा.के समक्ष दिनांक 21-1-19 को पेश हों।

21-1-19

आज स्थानीय वार एसो. ने कार्य स्थगित रखा है। पी.ओ.सा. पधारे हैं। मिसल वास्ते निम्न कार्यवाही हेतु दिनांक 3-4-19 को पेश हो।

03-4-19

वकील डिबीरार उप.। न्युंकि इस इजाजत से संबंधित मूल वाद न्यायालय राजसम कपीस अधिकाारी महोदय वजमेर से प्रतिपेक्षित होकर प्राप्त हुआ है। अतः अब इस इजाजत पर कोई कार्यवाही खेपेक्षित नहीं रहने से कार्यवाही इसी स्तर पर रूपा की जाती है। पत्रावली फेरसम शुमान होकर नम्बर से कम हो।

(जसमीतसिंह संधू)

उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

